भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3911

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2019 को दिया जाना है।

.....

जल का प्रदूषण

3911. श्री संजय जाधव:

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खतरनाक (लाल) श्रेणी में रखी गई औद्योगिक इकाइयां महाराष्ट्र में पानी को दूषित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस श्रेणी की सभी औद्योगिक इकाइयों ने आधुनिक उपकरण अधिष्ठापित किए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अनुसार औद्योगिक इकाइयों के लिए जल निकायों में निस्सरण से पूर्व निर्धारित मानदंडों का अनुसरण करने हेतु बहिस्राव शोधन संयंत्रों (ईटीपी) संस्थापित करने होते हैं तथा उनसे निकलने वाले बहिस्राव का शोधन करना होता है।

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र में 23949 रेड श्रेणी प्रचालनात्मक औद्योगिक इकाइयां उपलब्ध हैं। इनमें से 1124 इकाइयां पर्यावरणीय मानदंडों की अनुपालना नहीं कर रही हैं।

औद्योगिक बहिस्राव के निस्सरण को नियंत्रित करने हेतु, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियां (पीसीसी) बहिस्राव निस्सरण मानदंडों के संबंध में उद्योगों को मॉनीटर करते हैं तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत गैर-अनुपालना करने वालों के लिए कार्यवाही करते हैं।

******